



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.10.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट तथा लूटे हुए 3200 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.07.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी वीरेन्द्र राणा पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की कम्पोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन को पिस्टल दिखाकर भयभीत किया



गया तथा दुकान से 4-5 शराब की बोतलें, 1-2 बीयर की पेटियां एवं दिनभर की बिक्री का नकद धनराशि लूटकर फरार हो गए। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में माल बरामदगी व विवेचना के आधार पर धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस के द्वारा थाना हाजा के मु0अ0सं0 478/26 धारा

309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को दिनांक 05.10.2026 को चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में सूजरा सरूरपुर मार्ग दिल्ली देहरादून अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व एक मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट तथा लूटे हुए 3200 रुपये नगद बरामद हुये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 679/26 धारा 109(1) BNS पुलिस मुठभेड़ व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिंकू उर्फ विशाल पुत्र सुभाष निवासी जावली थाना टीला मोड गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

रिंकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत

2. मु0अ0सं0 679/26 धारा 109(1) BNS पुलिस मुठभेड़ व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- एक मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट
- लूटे हुए 3200 रुपये नगद (मु0अ0सं0 478/26) से सम्बन्धित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 5-है0का0 821 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 6-है0का0 650 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 7-का0 114 अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.10.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 316/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/217/61(2) BNS व 12(1)(b) पासपोर्ट एक्ट 1967 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 पासपोर्ट, 02 आधार कार्ड, 01 लैटर पैड, 01 मौहर ग्राम प्रधान व 01 स्टाम्प पैड स्याही बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला चौकी प्रभारी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर बागपत से प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण 01- नदीम पुत्र मौहम्मद अख्तर, मूल निवासी- ग्राम मुरादपुर थाना सिम्भावली, जनपद हापुड, 2-



मोहसीन पुत्र इकरार निवासी ग्राम मुरादपुर थाना सिम्भावली हापुड, 3- वसीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर बागपत, 4- ग्राम प्रधान लुहारा 5- अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र रचकर फर्जीवाडा एवं कूटरचित कर प्रशासन एवं पासपोर्ट प्राधिकरण के साथ धोखाधडी करते हुए गलत दस्तावेज लगाकर अभियुक्त नदीम उपरोक्त को ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र का फर्जी निवासी बनाया गया, पासपोर्ट (AR248380) बनाया गया (जबकि नदीम का वास्तविक निवास स्थान जनपद हापुड है) एवं लोक सेवकों को गुमराह किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 316/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/217/61(2) BNS व 12(1)(b) पासपोर्ट एक्ट-1967 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 316/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/217/61(2) BNS व 12(1)(b) पासपोर्ट एक्ट 1967 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 पासपोर्ट, 02 आधार कार्ड, 01 लैटर पैड, 01 मौहर ग्राम प्रधान व 01 स्टाम्प पैड (स्याही) बरामद हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नदीम पुत्र मौहम्मद अख्तर निवासी ग्राम मुरादपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुडा
2. जाबिर अली पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 पासपोर्ट व 02 आधार कार्ड। (अभियुक्त नदीम से)
- 01 लैटर पैड, 01 मौहर ग्राम प्रधान व 01 स्टाम्प पैड स्याही (अभियुक्त जाबिर अली से)

गिरफ्तार अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0253/15 धारा 452/307 भादवि थाना सिम्भावली हापुडा
2. मु0अ0स0163/17 धारा 366 भादवि थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।
3. मु0अ0स0444/17 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना सिम्भावली हापुडा।
4. मु0अ0स0636/18 धारा 307/411/414/420/465 भादवि थाना परीक्षतगढ मेरठा
5. मु0अ0स0284/19 धारा 414/420 भादवि थाना सिम्भावली हापुडा।
6. मु0अ0स0124/21 धारा 147/148/149/353/171जे/188/269/270 भादवि व 7 क्रि0ला0व ¾ महामारी अधि0 थाना सिम्भावली हापुडा।
7. मु0अ0स035/22 धारा 188/269/270/171H भादवि थाना सिम्भावली हापुडा।
8. मु0अ0स0285/23 धारा 147/332/506 भादवि थाना सिम्भावली हापुडा।
9. मु0अ0स0316/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2)/217/61(2) BNS व 12(1)(b) पासपोर्ट एक्ट 1967 थाना सिंघावली अहीर बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व० उ० नि० श्री रूनेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. है० का० 402 सुमित सिरोही थाना सि० अहीर जनपद बागपत ।
3. है० का० 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. का० 552 नीरज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. का० 310 ऋषिकेश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में वादी की पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने की घटना कारित करने के आरोपी सोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त सोनू पुत्र धर्मवीर निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु० अ० सं० 331/18 धारा 363/366/342/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ० प्र० द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.10.2026 को मा० न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू को धारा 363 में दोषी पाते हुए 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



एसपीपी श्री नरेश कुमार

@baghpatpolice



नि० श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



उ० नि० श्री दिनेश बालियान
विवेचक



है० का० योगेश कुमार कोर्ट पैरोकार

Baghpat Police

baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 05.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कथित तथ्यों एवं फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा के साथ धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय
मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, बागपत के
विभिन्न आदेशों के
अनुपालन में धारा
173(4) के अंतर्गत
आवेदक श्री राजेश



कुमार खरे, क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, योजना संख्या-1, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ (उ.प्र.) के अनुसार विभिन्न अभियुक्तों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कथित तथ्यों एवं फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा के साथ धोखाधड़ी की गयी । साथ ही, लोक धन को अवैध रूप से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के माध्यम से हड़पने का कृत्य किया गया । उक्त आरोपों के आधार पर थाना बडौत पर कुल 19 अभियोग पंजीकृत किए गए ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर क्रमशः

1.दिनांक 12.05.26 को मु0अ0सं0 318/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि
बनाम अभि0 1. पप्पू पुत्र स्व0 श्री दारा सिंह 2. महावीरा पुत्र सुरती 3. अन्य अज्ञात
व्यक्ति ,

- 2.दिनांक 20.05.26 को मु0अ0सं0 337/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. सुखपाल, 2. राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र सिंह,, 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,
- 3.दिनांक 29.05.2026 को मु0अ0सं0 366/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1.विनीत उर्फ विनीत कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
- 4.दिनांक 31.05.26 को मु0अ0सं0 370/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीरा उर्फ महावीरा 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
- 5.दिनांक 08.06.26 को मु0अ0सं0 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. रिशपाल उर्फ रिषिपाल 2. दिनेश कुमार व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
6. दिनांक 26.07.26 को मु0अ0सं0 531/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. दिनेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह 2. रिशपाल उर्फ रिषिपाल पुत्र श्री खचेडू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
- 7.दिनांक 31.07.26 को मु0अ0सं0 548/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. गोपी 2. सुखपाल व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
- 8.दिनांक 16.09.26 को मु0अ0सं0 664/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीर 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किये गये।

उक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडौत (सेवानिवृत्त) श्यामलाल चुघ पुत्र श्री स्वामी राम चुघ निवासी वेलकम विहार श्री गंगानगर थाना कोतवाली श्री गंगानगर राजस्थान एवं तत्कालीन फील्ड ऑफिसर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडौत (सेवानिवृत्त) ऋषिकुमार गोयल पुत्र श्री रमाकान्त गुप्त निवासी मैनेज दुर्गा वाली रोड थाना कवारसी जनपद अलीगढ़ की संलिप्तता पाये जाने पर नाम प्रकाश में लाये गये।

नोट- दिनांक 19-09-2026 को थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1. रिषीपाल पुत्र खचेडू निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत (सम्बन्धित मु0अ0सं0 531/26 धारा 420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 399/26 धारा 420/467/468/471 भादवि) 2. पप्पू पुत्र दारा सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत (सम्बन्धित मु0अ0सं0 664/26 धारा 420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 366/26 धारा 420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 318/26 धारा 420/467/468/471 भादवि व 370/26 धारा 420/467/468/471 भादवि) 3. सुखपाल पुत्र वेदू उर्फ बेदू निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत

(सम्बन्धित मु0अ0स0 548/26 धारा 420/467/468/471 भादवि व मु0अ0स0 337/26 धारा 420/467/468/471 भादवि) को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 307/26, 308/26, 490/26, 364/26, 366/26, 343/26, 531/26, 534/26, 548/26, 559/26, 661/26, 664/26, 318/26, 337/26, 338/26, 348/26, 370/26, 396/26, 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि में प्रकाश में आये वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. श्यामलाल चुघ पुत्र श्री स्वामी राम चुघ निवासी वेलकम विहार श्री गंगानगर थाना कोतवाली श्री गंगानगर राजस्थान (सेवानिवृत्त तत्कालीन बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडौत)
2. ऋषिकुमार गोयल पुत्र श्री रमाकान्त गुप्त निवासी मैनेज दुर्गा वाली रोड थाना कवारसी जनपद अलीगढ़ (सेवानिवृत्त तत्कालीन फील्ड ऑफिसर बैंक ऑफ बडौदा शाखा बडौत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री राम कुमार कुन्तल थाना बडौत।
- 2-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बडौत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 05.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय दो जिंदा कारतूस .12 बोर व एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय दो जिंदा कारतूस .12 बोर व एक अवैध चाकू बरामद बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-बादल पुत्र राजू निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-विनय पुत्र अरविन्द कुमार निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर व दो जिंदा कारतूस .12 बोर ।
- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 814 कृष्ण कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 69 अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-का० 349 गौरव थाना रमाला जनपद बागपत ।

